



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श10)

(सं० पटना 867) पटना, बृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर 2023

अधिसूचना संख्या 17/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ०-350 दिनांक 19 अक्टूबर 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अन्सूची I में-2.5%,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और-लेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची III में-9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल-किए गएहो, से भिन्न " प्रति स्थापित की जाएंगी।

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV में-14%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-17)17)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

19 अक्टूबर 2023

एस०ओ० 350 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-17)17)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 19th October 2023

Notification No. 17/2023- State Tax (Rate)

S.O. 350 Dated 19 October 2023— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"92A.	1703	Molasses";

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled";

- (B) in Schedule III – 9%,
 (i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures “of heading 1905”, the words and figures “of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled ” shall be substituted;
 (ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use”;

- (C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17)17)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 867-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>